4

प्री-स्कूल को मुख्यधारा से जोड़ना चुनौतियाँ और अवसर

अनिल कुमार तेवतिया*

प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के मस्तिष्क का विकास अधिक तीव्रता से होता है और प्रारंभिक शिक्षा का प्रभाव एक लंबे समय तक रहता है। ऐसा विभिन्न अनुसंधानों में पाया गया है कि गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भाग लेने वाले बच्चे अपने समकक्ष बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा का ठोस आधार विकसित करने के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भविष्य की सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ भी इस पर निर्भर करती हैं। हालाँकि, अभी तक हमारे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में प्री-स्कूली शिक्षा का वर्णन तो है पर लागू करने की कोई बाध्यता नहीं है। हाल ही में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 'शुरुआती वर्षों' (Early Years) में अधिक रुचि दिखाई है। इस बात ने अनुसंधानकर्ता को भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) की वर्तमान स्थिति और इसके बारे में विभिन्न नीति दस्तावेज़ों की राय की जाँच-परख करने के लिए प्रेरित किया। प्रस्तुत लेख में ई.सी.सी.ई. के महत्व और इसकी अनुपस्थिति में चुनौतियों को समझने के लिए ई.सी.सी.ई. कक्षा की गतिविधियों का एक नमूना भी दिया गया है। ई.सी.सी.ई. एक ओर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और दूसरी ओर, बच्चों को सिखाने और समझाने में मदद करती है। लेख के अंत में ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम के उचित रखरखाव और विकास को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझावों पर प्रकाश डाला गया है। मुख्य सुझावों में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विनियमन और मानकों के लिए कानून बनाना, एक नाटक आधारित कक्षा, संवादात्मक गतिविधियाँ, समस्या-समाधान, कला-एकीकृत और लचीला पाठ्यक्रम शामिल हैं, इसके साथ ही आर.टी.ई. 2009 में ई.सी.सी.ई. को शमिल करना भी सम्मिलित है।

शून्य से आठ वर्ष तक के प्रारंभिक वर्षों को उचित विकास के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भविष्य के किसी भी कार्य के लिए नींव हमेशा महत्वपूर्ण होती है। शैक्षिक नींव (प्री-स्कूल) बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले प्रदान किए गए समर्थन को संदर्भित करती है। ई.सी.सी.ई. के लाभों में विभिन्न बिंदु शामिल हैं, जैसे— स्कूलों तथा उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम प्रतिफल, व्यक्तियों की

* *प्रधानाचार्य,* जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095

© NCERT not to be republished

सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार, ड्रॉपआउट दर या विफलता या पुनरावृत्ति को कम करना और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अप्रत्यक्ष रूप से सीखने के स्तर में सुधार करना।

'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' पर ध्यान हाल के वर्ष में ज़्यादा दिया जा रहा है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.) 2019 भी 'प्रारंभिक वर्षों' के लिए समर्पित थी। नई नीतियाँ और सभी रूपरेखाएँ 'शुरुआती वर्षों' में अब पहले की तुलना में अधिक रुचि दिखा रही हैं। भारत और विदेशों में कई अध्ययनों से पता चला है कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के मस्तिष्क का विकास अधिक तीव्रता से होता है। इसके अलावा, 'स्कूल के लिए बच्चों की तैयारी' जो आज की दुनिया में महत्व प्राप्त कर रही है। विभिन्न अध्ययनों में यह दिखाया गया है कि जिन बच्चों ने प्री-स्कूल में भाग लिया, वे उन बच्चों की तुलना में जिन्होंने प्री-स्कूल में भाग नहीं लिया या जो सीधे स्कूलों में (बिना पूर्व-स्कूली शिक्षा) दाखिला लेते हैं, वे गणित और भाषा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क पर शोधों से इसके बारे में नई जानकारी और नए निष्कर्ष सामने आए हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई सरकारें इन निष्कर्षों का लाभ उठाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। शुरुआती वर्षों में बच्चों के विकास को अधिकाधिक करने के लिए नए सुधार हो रहे हैं। बच्चों की सभी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को घर और स्थानीय संस्थानों में ही पूरा नहीं किया जा सकता है। इन प्रयत्नों को वैज्ञानिक बनाने की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत में नीति निर्माताओं ने राष्ट्रीय शैक्षिक सुधारों यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे अधिक माँग वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा ई.सी.सी.ई. को शामिल किया है।

वर्तमान लेख में भारत में ई.सी.सी.ई. की वर्तमान स्थिति की जाँच करने की कोशिश की गई। इसके साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्रक्रियाओं में सुधार के कुछ तरीकों का सुझाव भी दिया गया है।

ई.सी.सी.ई. की अनुपस्थिति में चुनौतियाँ— ई.सी.सी.ई. के लाभ

वर्तमान में, भारत में 0–6 वर्ष आयु के 15 करोड़ से अधिक बच्चे हैं (जनगणना, 2011) और हर साल करोड़ों बच्चों को स्कूल (कक्षा 1) में प्रवेश दिया जाता है (*शैक्षिक सांख्यिकी — एक नज़र में – 2018*)। जो बच्चे बिना ई.सी.सी.ई. के स्कूल में दाखिला लेते हैं, वे अपने कई महत्वपूर्ण महीने इस बात को समझने में व्यतीत कर देते हैं कि अधिगम का औपचारिक तरीका कैसा होता? वे ये बात समझने में देर लगाते हैं कि स्कूल सीखने की एक जगह है। मुझे अभी भी कक्षा 1 के छात्रों के साथ अपने अनुभव याद हैं, जो बिना ई.सी.सी.ई. के सीधे कक्षा 1 में भर्ती हुए थे। जब भी मैं किसी भी उद्देश्य के लिए उनकी कक्षा में जाता था तब मैं उन्हें घर की याद में रोते हुए पाता और वे स्कूल में रहने के लिए कुछ-न-कुछ माँग रहे होते थे, जैसे— प्यार, अपनी ओर विशेष ध्यान, टॉफ़ी, मिठाई आदि। स्कूल की नई औपचारिक व्यवस्था में उन्हें सहज बनाने के लिए लगभग एक वर्ष की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ बहुत उपयोगी समय का अपव्यय हो जाता है।

© NCERT not to be republished

प्री-स्कूल बच्चों में भावनात्मक नियंत्रण विकसित करने और बच्चों को स्कूल के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से मज़बूत बनाने में मदद कर सकते हैं। स्कूल व्यवस्था के लिए 'बातचीत कैसे करें' यह सीखना आवश्यक है। स्कूलों में पूरा ध्यान 6 साल की उम्र से विभिन्न भाषाई और गणितीय अवधारणाओं और प्रक्रियाओं के विकास पर होता है। आदर्श रूप से बच्चे को पता होना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे साथियों के साथ बात करनी है? कैसे समूह के माध्यम से शिक्षकों को कक्षा में सवाल-जवाब करना है अथवा प्रतिभागिता सुनिश्चित करनी है? इस तरह की तैयारी के बिना बच्चों को समावेशी कक्षा में समायोजित करने में शिक्षकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन कौशलों को औपचारिक स्कूल की स्थापना के लिए बुनियादी माना जाता है।

हालाँकि, ई.सी.सी.ई. प्राथमिक विद्यालय की तैयारी से अधिक है। यह आजीवन सीखने और समझने के लिए एक ठोस और व्यापक आधार बनाती है और बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का लक्ष्य रखती है। ई.सी.सी.ई. के माध्यम से बच्चों को ज़िम्मेदार भविष्य का नागरिक बनाने की संभावना है क्योंकि भविष्य की नींव बचपन से ही पड़ जाती है।

वर्तमान संदर्भ के लिए हम गणित से उदाहरण ले रहे हैं। 'संख्या का अर्थ' के विकास के लिए पूर्व-संख्या अवधारणाओं और पूर्व-संख्या शब्दावली के विकास पर काम करना भी ज़रूरी है। प्रारंभिक चरण (प्री-स्कूल) के लिए पाठ्यक्रम विभिन्न उपयुक्त तरीकों से विकसित किया जाता है। इन चीज़ों को विकसित करने के लिए कुछ गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं, जैसे— पूर्व संख्या अवधारणाओं को समझने के लिए गतिविधियाँ कम-ज़्यादा, बड़ा-छोटा आदि आयोजित की जाती हैं।

गणित सीखने-सिखाने की संसाधन सामग्री

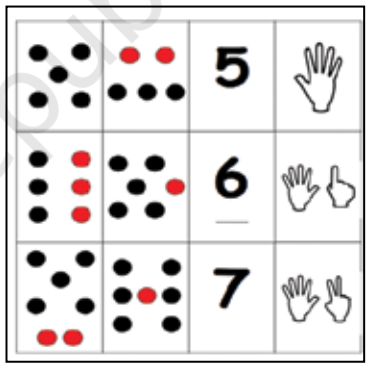

गणित सीखने-सिखाने की संसाधन सामग्री

ई.सी.सी.ई. शिक्षा के प्रारंभिक चरणों के विकास में मदद करती है। विषय की शुरुआत मन की सतह पर इसके प्रभाव को निर्धारित करती है। प्री-स्कूल में विशेषज्ञ या शिक्षक बच्चों को बहुत कुछ सीखने में मदद कर सकते हैं और बच्चे पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। ई.सी.सी.ई. भविष्य के सीखने के परिणामों

© NCERT not to be republished

को बढ़ाती है। इसके अलावा, बचपन की शिक्षा के व्यापक सामाजिक लाभों को भी सबने देखा है।

ई.सी.सी.ई. में सीखने की प्रक्रिया— मूलभूत संख्यात्मकता और गणितीय साक्षरता

संख्याओं का शिक्षण और अधिगम विभिन्न चरणों में होता है, जो संख्या को पहचानने से शुरू होता है और जटिल समस्याओं को हल करने पर खत्म होता है। विभिन्न संस्थाओं या एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट बताते हैं कि बच्चे संख्या तो पहचान लेते हैं, उसका नाम बता देते हैं पर संख्या मान उन्हें स्पष्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे सही अर्थों में संख्याओं को नहीं समझते हैं। प्री-स्कूलों या ई.सी.सी.ई. में फ़ोकस अलग-अलग तकनीकों से संख्या याद करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्व अंक अवधारण पर होना चाहिए, उदाहरण के तौर पर— पूर्व-संख्या अवधारणाओं में एक से एक मिलान करना, छाँटना, कम-ज़्यादा, बड़ा-छोटा, अंदर-बाहर आदि शामिल हैं।

प्री-स्कूल में गतिविधियाँ प्राथमिक स्कूल की तुलना में अधिक एकीकृत और अनौपचारिक होनी चाहिए, उदाहरण के लिए— बगीचे में पौधों को पानी देने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या ज्ञात करना, प्रत्येक बच्चे को एक टॉफ़ी देना, प्रत्येक जूते में एक मोज़ा डालना आदि। सॉर्ट (sorting) या वर्गीकरण करना, उदाहरण के लिए— अलग-अलग विशेषताओं के आधार पर स्कूल में विभिन्न पौधों के समूह बनाना, खेलने के लिए ब्लॉक के समूह बनाना, रंगों के आधार पर या आकार के आधार पर वर्गीकरण करना आदि। यह उम्मीद की जाती है कि अध्यापक उन्हें सुरक्षित महसूस कराएँ, की गई गतिविधियों से उन्हें अवगत कराएँ, उन्हें सामग्री के साथ खेलने दें, उन पर दबाव न बनाएँ। बच्चे आपके साथ संबंधों में सहजता महसूस करते हैं, उनके साथ खेलें, उन्हें स्कूल में अन्य लोगों के साथ कल्पना करने, खेलने, चित्र बनाने और सामाजिक संबंध स्थापित करने के अवसर दें।

विभिन्न प्रयास

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, 6–14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। इसके साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, यह शब्द प्रयास अनिवार्य रूप से राज्य पर कोई दबाव नहीं बना रहा है।

शिक्षा का अधिकार 2009

2009 में प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने का वादा किया गया था। पिछले दशक में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन पैटर्न और प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। यह 2009 के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कारण है। हालाँकि, अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि अधिनियम पूर्व-प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को संबोधित करने में विफल रहा है।

शिक्षा का अधिकार 2009 (आर.टी.ई. 2009) के अनुच्छेद 11 के अनुसार सरकारों से अनुरोध

© NCERT not to be republished

है कि वे ई.सी.सी.ई. के प्रचार के लिए प्रयास करें। अधिनियम के सटीक शब्द थे— प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को तैयार करने के लिए... उपयुक्त सरकार पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकती है। हालाँकि, किसी भी सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिए कोई विशेष या ऐतिहासिक प्रावधान नहीं किया। दरअसल, आर.टी.ई. 2009 में सरकार ने इसका पालन करना अनिवार्य नहीं किया, बल्कि इसके लिए अनुरोध किया और किसी सरकार ने भी इस अनुरोध को मंजूरी नहीं दी।

विभिन्न प्रमुख नीति दस्तावेज़ भी ई.सी.सी.ई. के बारे में कई बातें कहते हैं— राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ई.सी.सी.ई. को 'मानव संसाधन निर्मित करने की रणनीति में एक इनबिल्ट इनपुट' के रूप में मानती है। इसके साथ ही इसे प्राथमिक स्कूल शिक्षा के लिए एक सहायक रणनीति और महिलाओं के काम करने के लिए एक सहायक सेवा मानती है। राष्ट्रीय पोषण नीति (1993) 0–6 साल के 'उच्च जोखिम' को पहचानती है और इसकी प्राथमिकता की माँग करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 और 2005 में ई.सी.सी.ई. को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना है। अंत में, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ई.सी.सी.ई. की अवधारणा और महत्व को प्रतिध्वनित किया गया है।

शिक्षा की नई प्रस्तावित प्रणाली (5 + 3 + 3 + 4)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तावित 10 + 2 की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर एक नई प्रणाली का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। एक नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या मॉडल 5 + 3 + 3 + 4 का सुझाव नई शिक्षा नीति 2020 में दिया गया है। इस नई प्रणाली में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा शामिल है। नई प्रणाली में पहला चरण 5 साल का होगा, जिसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा— 3–6 साल के बच्चों के लिए आँगनवाड़ी या पूर्व स्कूली या बालवाटिका के 3 साल और कक्षा 1 और 2 के लिए 2 साल। अगला चरण 3 साल का (कक्षा 3–5 के लिए) जिसे प्रारंभिक स्तर कहा गया है। तीसरा चरण फिर कक्षा 6–8 के लिए 3 साल का है और अंत में चौथा चरण कक्षा 9–12 के लिए है (4 वर्षों के लिए) जिसे माध्यमिक चरण कहा गया है।

यह भारत में पहली बार है कि राष्ट्रीय नीति में ई.सी.सी.ई.को इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसके पीछे का कारण मस्तिष्क के विकास के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान है। शोधों के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक विकास हो जाता है। इसलिए यह समय की माँग है कि बच्चों में मस्तिष्क की उचित देखभाल की जाए। वर्तमान में राष्ट्र के कई हिस्सों में ई.सी.सी.ई. उपलब्ध नहीं है। अगर यह उपलब्ध है तो गुणवत्ता बहुत खराब है यानि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा केवल नीचे की ओर विस्तार बन कर रह गई है अर्थात जो प्राथमिक शाला में पढ़ाया जाना चाहिए वह पूर्व प्राथमिक शाला में पढ़ाया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति ई.सी.सी.ई. की ओर विशेष ध्यान देने का सुझाव देती है ताकि भारत में इस कार्यक्रम की सार्वभौमिक पहुँच हो। इस मिशन को पूरा करने

© NCERT not to be republished

के लिए वर्ष 2030 तक समय सीमा भी तय की गई। इसमें यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे वर्ष 2030 तक स्कूल (ई.सी.सी.ई. के माध्यम से) के लिए तैयार हों।

प्री-प्राइमरी या प्री-स्कूल या ई.सी.सी.ई. आदि एक ही चीज़ को दिए गए विभिन्न नाम हैं। शिक्षा में ठोस आधार विकसित करने के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है, जिस पर भविष्य के सभी शिक्षण-अधिगम निर्भर करते हैं। प्री-स्कूल शुरुआत में उचित सहायता प्रदान करके शिक्षा के प्रत्येक स्तर को अधिक प्रभावी और कुशल बनाता है।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर) द्वारा 5 साल के लंबवत अनुसंधान अध्ययन के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया था कि ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम (गुणवत्ता कार्यक्रम) में भागीदारी का एक वर्ष भी बच्चों को स्कूल की तत्परता में सुधार करने में मदद कर सकता है और परिणामस्वरूप यह सीखने के परिणाम को बेहतर कर सकता है।

सुझाव

ई.सी.सी.ई. को फिर से नए जोश से शुरू करने का समय

ई.सी.सी.ई. में शामिल सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं— इसकी गुणवत्ता और पहुँच। यह स्पष्ट है कि ई.सी.सी.ई. का प्रभाव सीधे उपलब्ध ई.सी.सी.ई. की गुणवत्ता से संबंधित है। वर्तमान में प्री-स्कूल की स्थिति काफी खराब है। बहुत से शिक्षक या आँगनवाड़ी कार्यकर्ता अप्रशिक्षित हैं, उनके प्रशिक्षण और विनियमन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। यदि हम इसे सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नियमन और मानकों के लिए प्रावधान करना होगा। याद रखें कि हमें बुनियादी ढाँचे के अलावा पेशेवर रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है। सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में सुधार और आवश्यकता अनुसार नए खोलने की ज़रूरत है।

ई.सी.सी.ई. के लिए पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बताती है कि ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक-भावनात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक या कलात्मक विकास और संचार और प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मकता का विकास आदि पाठयक्रम के उद्देश्य हैं। पूर्व-प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम प्ले-आधारित, इंटरैक्टिव, सार्थक, बहु-विषयक, समस्या-समाधान, कला-एकीकृत और लचीली गतिविधियों से युक्त होना चाहिए।

ई.सी.सी.ई. का मुख्य उदेश्य है— बच्चे के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। ई.सी.सी.ई. के अनौपचारिक शिक्षण के साथ अनौपचारिक मूल्यांकन भी होना चाहिए। इसका रूप अनौपचारिक रखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 और 2005 में सुझाव भी दिए गए हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का कोई टेस्ट या परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। इससे बच्चों पर मानसिक दबाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो दिशानिर्देश दिए गए हैं, उनका पालन सरकार द्वारा किया जाएगा। सभी से इसको लागू करने की अपील भी की जाएगी।

© NCERT not to be republished

ई.सी.सी.ई. को आर.टी.ई. अधिनियम 2009 में शामिल करने की माँग भी अब तेज़ होगी ताकि अनुच्छेद 45 (प्रयास) में की गई प्रतिबद्धता सरकार के दायित्व (अनिवार्य) बन जाए।

निष्कर्ष

भविष्य के किसी भी विकास के लिए नींव हमेशा महत्वपूर्ण होती है। शैक्षिक नींव बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले प्रदान किए गए प्रयास को संदर्भित करती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान हाल के वर्ष में अधिक तेज़ किया गया है। मस्तिष्क के विकास के बारे में नए निष्कर्ष सरकारों से आवश्यक कदम उठाने और ई.सी.सी.ई. की व्यवस्था करने का आग्रह कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत में नीति निर्माताओं ने राष्ट्रीय शैक्षिक सुधारों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ई.सी.सी.ई. जिसकी सबसे अधिक माँग थी, को शामिल किया है। देश में ई.सी.सी.ई. शुरू करने के कई लाभ हैं क्योंकि प्री-स्कूल बच्चों में भावनात्मक नियंत्रण विकसित करने में मदद करता है और बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्कूल के लिए तैयार करता है। ई.सी.सी.ई. भविष्य के अधिगम प्रतिफल को बढ़ाता है। इसके अलावा बचपन की शिक्षा के व्यापक सामाजिक लाभ भी होते हैं। प्रारंभिक अंक और साक्षरता के विकास के लिए ई.सी.सी.ई. सहायक है। प्री-स्कूल में गतिविधियाँ प्राथमिक स्कूल की तुलना में अधिक एकीकृत और अनौपचारिक होनी चाहिए। नीति निर्देश सिद्धांतों और अनुच्छेद 45 के तहत संवैधानिक प्रावधान से शुरू करके भारत सरकार ने ई.सी.सी.ई. को बहुत महत्व दिया है। जैसे 6–14 साल की उम्र तक शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाई है। वैसे अब 0–6, 6–8 वर्ष के लिए समग्र रूप से प्रयास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ई.सी.सी.ई. के संदर्भ में जो चर्चा की गई है उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

ए.एस.ई.आर., 2019. रिर्पोट. http://img.asercentre.org/docs/ASER%202019/ASER2019%20report%20/aserreport2019earlyyearsfinal.pdf

कॉल, वी. और डी. शंकर. 2009. अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया. एजुकेशन फॉर ऑल-मिड-डिकेड एसेसमेंट. इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लैनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नयी दिल्ली. www.educationforallindia.com/early-childhood-care-and-education-in-india.pdf.

नेशनल काउंसिल ऑफ़ टीचर एजुकेशन. 2005. *एनुअल रिपोर्ट फ़ॉर द ईयर 2004 टू 2005*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.

भारत सरकार. 2019. *भारत का संविधान, विधान विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय,* भारत सरकार, नयी दिल्ली. https://legislative.gov.in/sites/default/files/CONSTITUTION%20OF%20INDIA-2019-UPLOAD.pdf

——. शिक्षा मंत्रालय. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986*. शिक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

——. 2011. *जनगणना 2011*, भारत सरकार.

——. 2009. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009*,

——. राष्ट्रीय पोषण नीति-1993. http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Nutrition_Strategy_Booklet.pdf

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय. 2018. *शैक्षिक सांख्यिकी: एक नज़र में*. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति* 2020. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf.

योजना आयोग. 2011. *तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास: बाहरवीं पंचवर्षीय योजना*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2000. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली.

———. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली. https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf 2005-english.pdf

© NCERT not to be republished